

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक वेतन पे मैट्रिक्स लेवल-12 के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-15(1) एफ.डी./नियम/2017 दिनांक: 09.12.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के प्रावधानान्तर्गत 02 वर्ष के परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विधमान में नियुक्त किये गये निम्नांकित रसायन विज्ञान प्राध्यापकों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 05 (vi & vii) एवं अनुसूची 1 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं. 08 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स लेवल-12 एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की व नियमित करने की व नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या 08 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थाईकरण किया जाता है:-

क्र. स.	वर्ग	पुराना मेरिट क्रमांक	नया मेरिट क्रमांक	प्राध्यापक नाम मय पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	स्थाईकरण एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
01	GE	112	106	RIPUL GUPTA GSSS NIRWANA GANGANAGAR	07-11-1992	19-07-2017	04-02-2020

क्र.स. 01 पर अंकित कार्मिक द्वारा परीक्षाकाल अवधि में लिए गये कुल 199 दिवस के असाधारण अवकाश का उपभोग करने पर इनकी स्थाईकरण एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि में नियमानुसार वृद्धि की गई है।

(गौरव अग्रवाल)

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-4/प्रो.दे/रसायन विज्ञान/स्थाईकरण/2015/2019 दिनांक:-07.02.2023
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक।
3. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि.....।
4. संबंधित कार्मिक.....।
5. अनुभाग अधिकारी- वरिष्ठता/एसीआर/एवी/ओएसी, कार्यालय हाजा।
6. अनुभाग अधिकारी- कम्प्युटर, कार्यालय हाजा।
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)